रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072020-220514
CG-DL-E-14072020-220514

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2020/ आषाढ़ 23, 1942
No. 342] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2020/ASHADHA 23, 1942

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 445(अ).—केंद्रीय सरकार,खान और खनिज(विकास और विनियमन)अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

(2) उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के मद 10 की प्रविष्टि क में, उपप्रविष्टि (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु कोयले के विक्रय (वाणिज्यिक खनन) के प्रयोजन के लिए नीलामी किए गए कोयला ब्लाकों या खानों से उत्पन्न कोयले के लिए, स्वामिस्व की दर @ 14% (चौदह प्रतिशत) की दर पर मूल्यानुसार कल्पित कीमत या वास्तविक कीमत पर, जो भी उच्चतर हो, संगणित की जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस उपप्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए,--

(i)कल्पित मूल्य से उस तारीख को, जिसको स्वामिस्व संदेय हो जाता है, कोयला श्रेणी (श्रेणियों) की सुसंगत बास्केट के राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के उप सूचकांक के साथ प्रतिनिधित्व कीमत का समायोजन करने के पश्चात् प्राप्त कीमत अभिप्रेत है, जहां प्रतिनिधित्व कीमत निम्नलिखित का उत्पाद होगी ;

(क) सुसंगत कोयला ब्लाक या खान की नीलामी के लिए निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट आधार वर्ष के वजन (अधिसूचित कीमत, नीलामी कीमत और आयातित कीमत चैनल के विभिन्न घटकों में कोयले का आयतन); और

(ख) सुसंगत कोयला ब्लाक या खान की नीलामी के लिए निविदा दस्तावेज जारी करने के समय इन घटकों की नवीनतम उपलब्ध कीमतें ।

(ii) वास्तविक कीमत से कोयले के विक्रय बीजक मूल्य, करों सहित वैधानिक शोध्यों का योग, उद्ग्रहण, स्वामिस्व, राष्ट्रीय खनिज खनन न्यास और जिला खनिज फाउंडेशन को अभिदाय अभिप्रेत है ;

(iii) राष्ट्रीय कोयला सूचकांक केंद्रीय सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 4 जून, 2020 को जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अवधारित कोयला सूचकांक है और इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित की कोयले की विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिसूचित उपसूचकांक भी हैं ।"

[फा. सं. सीए-11022/1/2020-सीए]

विस्मिता तेज संयुक्त सचिव,

पाद टिप्पण : खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की दूसरी अनुसूची में पहला संशोधन सा.का.नि. 175(अ), तारीख 31 मार्च, 1975 द्वारा किया गया और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 630(अ), तारीख 1 सितंबर, 2014 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2020

G.S.R. 445(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely:—

(2) In the Second Schedule to the said Act, in item 10, in entry A, after sub-entry (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for the coal produced from the coal blocks or mines auctioned for the purpose of sale of coal (commercial mining), the rate of royalty @ 14% (Fourteen percent.) *ad-valorem* shall be calculated on the notional price or the actual price, whichever is higher.

Explanation :– For the purposes of this sub-entry,—

(i) Notional price means the price arrived at after adjusting the representative price with the sub-index of National Coal Index of the relevant basket of coal grade(s) on the date on which royalty becomes payable, where representative price shall be a product of;

(a) weights (volume of coal in different components of notified price, auction price and imported price channel) of the base year specified in the tender document for auction of relevant coal block or mine; and

(b) latest available prices of these components at the time of issuance of the tender document for auction of relevant coal block or mine.

(ii) Actual price means the sale invoice value of coal, net of statutory dues including taxes, levies, royalty, contribution to National Mineral Exploration Trust and District Mineral Foundation;

(iii) National Coal Index is the coal index determined in accordance with the guidelines dated the 4th June, 2020 issued by the Central Government in the Ministry of Coal and includes sub-indices notified for various grades of coal published by the Central Government.".

[F. No. CA-11022/1/2020-CA]

VISMITA TEJ, Jt. Secy.

Note : The Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), was first amended *vide* G.S.R. 175(E), dated the 31st March, 1975 and lastly amended *vide* G.S.R. 630(E), dated the 1st September, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.07.14 20:47:30 +05'30'